

फल.सब्जी विक्रेताओं की जिला व निगम अधिकारियों ने ली बैठक
षहर हित में तय स्थान पर फल.सब्जी विक्रय की दी समझाईष
सब्जी.फल विक्रेता निर्धारित स्थल पर व्यवसाय हेतु अपना पंजीयन करवायें
272 फल सब्जी विक्रेताओं ने कराया पंजीयन

रतलाम 4 मई । यातायात प्रबंधन तंत्र को व्यवस्थित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं
निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम नगर में 5 मई से
जमीन एवं ठेलागाड़ी पर सड़क एवं फुटपाथ आदि पर फल.सब्जी विक्रय पूर्णतः
प्रतिबंधित किये जाकर तय 4 स्थानों पर ही फल.सब्जी का विक्रय किये जाने के
संबंध में जिला एवं निगम अधिकारियों ने फल.सब्जी विक्रेताओं की बैठक निगम
सभागृह में लेकर तय स्थान पर फल.सब्जी विक्रय के संबंध में सुझाव आमंत्रित कर
उन्हे होने वाली परेशानियों को दुर करने हेतु आश्वस्त किया।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने फल.सब्जी विक्रेताओं से
आव्हान किया कि रतलाम षहर आपका अपना षहर है इसे ओर अधिक सुन्दर व
सर्वसुविधायुक्त बनाने में आपकी अहम भूमिका है पटरी के इस पार व्यापारिक व
घनी आबादी का क्षेत्र होने व यातायात प्रबंधन तंत्र को व्यवस्थित किये जाने हेतु
जमीन एवं ठेलागाड़ी पर सड़क एवं फुटपाथ आदि पर फल.सब्जी विक्रय पूर्णतः
प्रतिबंधित किया जाकर त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने वाला क्षेत्र फल.सब्जी
विक्रय हेतु तय किया गया है आप अपना पंजीयन कर निर्धारित स्थल पर फल.
सब्जी का विक्रय करना सुनिश्चित करें। आपकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए स्थल
पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावेगी।

उन्होंने ने कहा कि आज 241 सब्जी व 31 फल विक्रेताओं ने त्रिवेणी रोड कल्याण
नगर के सामने फल.सब्जी विक्रय हेतु अपना पंजीयन करा चुके हैं आप भी तत्काल
अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

फुटकर फल.सब्जी विक्रेताओं की मांग पर एसडीएम श्री राकेश षुकला ने कहा कि
सैलाना बस स्टैण्ड सब्जी मण्डी में फल.सब्जी का विक्रय थोक में होगा ना कि
किलो दो किलो में। साथ ही उन्होने कहा कि फुटकर फल.सब्जी विक्रेता कालोनियों

में घुम.घुम कर ठेले पर फल.सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। तय स्थान पर फल.सब्जी विक्रय हेतु उन्होने फुटकर विक्रताओं का तत्काल अपना पंजीयन कराने की समझाईष दी।

इस अवसर पर सीएसपी श्री हेमन्त चौहानए डीएसपी श्री अमित कुमार रायए उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए नायब तहसीलदार श्री कुलभूशण षर्माए मण्डी सचिव श्री एमणएसण मुनियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री प्याम सोनीए स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किषोर पाटनवाला के अलावा श्री अनुराग यादवए राजेन्द्र व्यास आदि उपस्थित थे।

कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहनों ने लगाई 232 ट्रीप

110 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 4 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 4 मई बुधवार को 232 ट्रीप लगाकर 110 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

4 मई बुधवार को मैजिक सूखा कचरा 45170 किलोए मैजिक गीला कचरा 26225 किलोए डम्पर से 31070 किलोए टे^० कटर से 7960 किलोए सेनेटरी वेस्ट 3 व घरेलू हानिकारक कचरा 1^०8 किलो इस तरह कुल 110425^०8 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 14^०50 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 4 मई । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 4 मई को कुल राषि रूपये 8^०98^०656^६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 4 मई को संपत्तिकर कार्यालय 248839ए जलकर कार्यालय से 447435ए वसूली दल 81125 कुल 528560ए स्पॉट फाईन 3000ए

दुकान.गुमटी किराया कार्यालय 48714ए लीजरेंट 69543 इस तरह कुल राशि रूपये 8ए98ए656६. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

75 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित स्वच्छता संबंधी शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 14420 पर कॉल करें कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 कचरा पात्रों का उपयोग करें

रतलाम 4 मई । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

सफाई से संबंधित शिकायतों के लिए नगर.निगम रतलाम के टोल फ्री नंबर 14420 पर शिकायत दर्ज करायें। अपने मोबाइल में स्वच्छ एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।निर्माण एवं विध्वंस सामग्री उठवाने के लिए भी टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में किया जाएगा।

नागरिक व व्यापारी घरोंए दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 4 प्रकार के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। इनमें सूखा कचराएगीला कचराएसेनेटरी वेस्ट एवं हानिकारक अपशिष्ट अलग अलग डस्टबिन में ही रखें। एवं अलग अलग 4 प्रकार का कचरा सफाई गाड़ी में ही अलग अलग डालें ।

खुले स्थान में कचरा फेंककर सड़कए नालाएनाली एवं वाटर बाडी गंदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाकर दंडित किया जायेगा।

23 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 4 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार

वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर

2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 4 मई को प्रातः

16 व दोपहर की शिफ्ट में 7 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन

काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में

बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

4 मई बुधवार को झोन क्रमांक 1 में विककी.दिनेषए विजय.फुलचन्दए अजय.विनोदए

बादल.दिलीपए सतीष.गोवर्धनए लोकेष.प्रहलादए झोन क्रमांक 2 में किरणबाई पति

हुकमीचन्द्रए रवि.सुरेशए षकुन्तलाबाई पति रामचन्द्रए दुर्गाबाई पति संजयए संजय.

बच्चुए कन्हैयालाल.कमलए दीपक.राजूए जितेन्द्र.दुलीचन्दए संजय.शिवए झोन क्रमांक

3 में धर्मेन्द्र.रामचन्द्रए दोपहर की शिफ्ट में नितिन.कमलए रघुवीर.पुनमचन्द्रए नरेन्द्र.

पप्पुए विमलाबाई पति मुकेशए महेन्द्र.नेहरूए झोन क्रमांक 3 में बीनाबाई पति कोमल

व चंदन.नजीर द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने

पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ

सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य

स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नेषनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करो की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 4 मई । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के

निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने

हेतु आज 14 मई 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹, रुपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000₹, रुपये दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹, रुपये पचास हजार से अधिक तथा रुपये 1,00,000₹, रुपये एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000₹ से अधिक तथा रुपये 50,000₹ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000₹, रुपये एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार, वदम जपउम ैमजजसमउमदज ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2021.22 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14.05.2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार, सरचार्ज में छूट का लाभ उठावें।

कचराए गंदगी व अतिक्रमण करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 4 मई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 मई को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर गणपत पर 1000₹ बहादुरसिंह पर 500₹ संगीता सोहनबाई पर 300.300₹ मोहम्मद रफीक पर 250₹ सुखदेव भरत पर 200.200₹ तुलसीराम मोहसीन पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

रात्रिकालिन सफाई के 12 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 4 मई । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 03 मई मंगलवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 12 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

3 मई मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी नवीन.फिरोज राजा.कैलाष राहूल.राजकपूर पंकज.फिरोज दीपक.रतनलाल नरेन्द्र.नवीन सुधीर.गोपाल अमन. रमेश अमित.बालकिषन महेन्द्र.सुरेश प्रकाश.कैलाष व भरत.बाबुलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रथमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रथमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 4 मई । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 4 मई । निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2^ण0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए

स्टील ए लकड़ी ए प्लास्टिक ए मोर्टर ए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 4 मई । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹ एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹ प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹ रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 4 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 4 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर. 1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविण्हेमन्तध04ण05ण2022धनपाणनिगमए रतलाम